इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2021—आश्विन 9, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

क्र. 84(23)-वि-निर्वा.~चार-2021-उपचुनाव-118.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं तथा उसका हिन्दी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

- 1. क्रमांक 100/MP-HP-1-2021 (Bye-Election), दिनांक 1 अक्टूबर 2021
- 2. क्रमांक 100/MP-LA-2-2021 (Bye-Election), दिनांक 1 अक्टूबर 2021
- 3. क्रमांक 100/MP-LA-3-2021 (Bye-Election), दिनांक 1 अक्टूबर 2021
- 4. क्रमांक 100/MP-LA-4-2021 (Bye-Election), दिनांक 1 अक्टूबर 2021

राजेश कुमार कौल, पदेन अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2021—09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-म.प्र-लो.स.-1-2021 (उप-निर्वाचन).—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (नंदू भईया) का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 2 मार्च 2021 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदृद्वाराः—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 05 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की लोक सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 8 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार)

(घ) मतदान की तारीख: 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 5 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-(मधुसूदन गुप्ता) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 01st October, 2021-09 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-HP-1-2021 (Bye-Election).—Whereas, the seat of Shri Nandkumar Singh Chouhan (Nandu Bhaiya) in the House of the People elected from 28-Khandwa Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh has become vacant on 02nd March, 2021 by reason of his death; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 149, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
 - (A) Calls upon the said 28-Khandwa Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 05th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
 - (B) Appoints, with respect to the said election:—

(a) Last date for filing nominations: 08th October, 2021 (Friday)
 (b) Date for the scrutiny of nominations: 11th October, 2021 (Monday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 13th October, 2021 (Wednesday)

(d) Date of Poll: 30th October, 2021 (Saturday)

(e) Date before which the election shall be completed: 05th November, 2021 (Friday); and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 6.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2021—09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-म.प्र-वि.स.-2-2021 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 02 मई 2021 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 45-पृथ्वीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनयम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 05 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:

08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:

11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:

13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार)

(घ) मतदान की तारीख:

30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:

05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(मधुसूदन गुप्ता)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 01th October, 2021-09 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2021 (Bye-Election).—Whereas, the seat of Shri Brajendra Singh Rathore in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 45-Prithvipur Assembly Constituency has become vacant on 02nd May, 2021 by reason of his death; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
 - (A) Calls upon the said 45-Prithvipur Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 05th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
 - (B) Appoints, with respect to the said election:—

(a) Last date for filing nominations: 08th October, 2021 (Friday)
 (b) Date for the scrutiny of nominations: 11th October, 2021 (Monday)
 (c) Last date for the withdrawal of candidatures: 13th October, 2021 (Wednesday)
 (d) Date of Poll: 30th October, 2021 (Saturday)

(e) Date before which the election shall be completed: 05th November, 2021 (Friday); and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 6.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./(MADHUSUDAN GUPTA)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2021—09 आश्विन, 1943 (शक) अधिसूचना

सं. 100-म.प्र-वि.स.-3-2021 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 62-रैगांव (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जुगुल किशोर बागरी का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 10 मई 2021 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 62-रैगांव (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 05 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति की एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
 (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार)
 (घ) मतदान की तारीख: 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार); और

7.00 बजे पर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक (ま) हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से.

हस्ता./-(मधुसूदन गुप्ता) सचिव. भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 01st October, 2021-09 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-3-2021 (Bye-Election).-WHEREAS, the seat of Shri Jugul Kishor Bagri in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 62-Raigaon (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th May, 2021 by reason of his death; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
 - Calls upon the said 62-Raigaon (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to (A) elect, before the 05th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State:
 - (B) Appoints, with respect to the said election—

(a) Last date for filing nominations: 11th October, 2021 (Monday) Date for the scrutiny of nominations: (b) 13th October, 2021 (Wednesday) Last date for the withdrawal of candidatures: (c)

30th October, 2021 (Saturday) (d) Date of Poll:

05th November, 2021 (Friday); and Date before which the election shall be completed: (e)

Fixes the hours from 7.00 A. M. to 6.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if (C) necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

08th October, 2021 (Friday)

Sd./-(MADHUSUDAN GUPTA) Secretary, Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2021-09 आश्विन, 1943 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100-म.प्र-वि.स.-4-2021 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 192-जोबट (अ. ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री कलावती भूरिया का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 24 अप्रैल 2021 को स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदुद्वारा:—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 192-जोबट (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 05 नवम्बर 2021 (शुक्रवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए:
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार)
(刊)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार)
(ঘ)	मतदान की तारीख:	30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा:	०५ नवम्बर. २०२१ (शक्रवार): और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

> आदेश से, हस्ता./-(मधुसूदन गुप्ता) सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 01st October, 2021-09 Asvina, 1943 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-4-2021 (Bye-Election).—Whereas, the seat of Ms. Kalawati Bhuriya in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 192-Jobat (ST) Assembly Constituency has become vacant on 24th April, 2021 by reason of her death; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
 - (A) Calls upon the said 192-Jobat (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 05th November, 2021 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election:—

(a)	Last date for filing nominations:	08 th October, 2021 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	11 th October, 2021 (Monday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 13th October, 2021 (Wednesday)

(d) Date of Poll: 30th October, 2021 (Saturday)

(e) Date before which the election shall be completed: 05th November, 2021 (Friday); and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 6.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.